न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1228 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2652 / 2026

CNR UPLP 010056412026

अंकित आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र गंगाराम, निवासी ग्राम नरवाहनपुर, थाना–इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–133 / 2026
धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आयुध अधिनियम,
थाना–हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी।

31.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्त अंकित की ओर से मु0अपराध संख्या–133 / 2026, धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आयुध अधिनियम, थाना–हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा राजेश राठौर द्वारा दिनांक 05.05.2026 को थाना संबंधित पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि दिनांक 03.05.2026 की रात्रि लगभग 12.00 बजे अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में घुसकर चोरी कर ली गयी। चोरों द्वारा निम्नलिखित सामान चोरी किया है–एक सोने का हार, एक जोड़ी सोने के झाले, एक नथनी रू0 50,000 / – नगद, तीन जोड़ी चॉदी की पायल, चॉदी की कमर बन्द बिछुआ एवं अन्य जेवरात। घटना के समय वह लोग घर में सो रहे थे। सुबह उठने पर उसे चोरी की जानकारी हुई। वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–305(ए), 331(4) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व 10 दिन पहले रिश्तेदारी से गिरफ्तार करके थाना हाजा पर निरूद्ध रखा। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, अज्ञात में वादी मुकदमा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक 03.05.2026 के सम्बन्ध में दिनांक 05.05.2026 को दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, दिखायी गयी बरामदगी जाली व फर्जी है। अभियुक्त अपनी रिश्तेदारी में थाना मितौली से आया हुआ था, वही से उसे रिश्तेदारी से ही पूछताछ के लिये बुलाकर ले गये थे, बाद में कई दिनों तक थाने पर रोकने के बाद अज्ञात अपराध संख्या में फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालान कर दिया। अभियुक्त के ऊपर 3/25 की भी धाराएं फर्जी लगाकर उक्त अपराध संख्या में निरूद्ध कर दिया गया। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त पूर्व से सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 24.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर सोने व चॉदी के जेवरात व नगद रूपयों की चोरी की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— प्रार्थी/अभियुक्त पर दिनांक 03.05.2026 को समय अदम तहरीर, स्थान मकान वादी, वहदग्राम घरथनिया, थाना–हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी से सोने व चॉदी के जेवरात व नकद 50,000/–रूपयों की चोरी करने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त का नाम उसके बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण की जा चुकी है, अब कोई विवेचना लम्बित

नहीं है। बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 24.06.2026 से जिला कारागार खीरी में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के आपराधिक इतिहास विवरण में उसके विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त एक मुकदमा दर्शित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैंः—मु0अ0सं0—100/2025, धारा—140(2) बी0एन0एस0, थाना—मितौली, जिला खीरी, किन्तु अभियुक्त की कोई दोषसिद्धि दर्शित नहीं की गयी है।

8- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित द्वारा रू0 50,000 (पचास हजार)/—रूपये की धनराशि का स्वबंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायः—

1—अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2—अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3—अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17—12—2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पते के विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
31.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.22 14:15:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court